

मूल्य 20.00 रुपये



नं. 1747

नगर निगम, बीकानेर

भवन मानचित्र स्वीकृती हेतु आवेदन प्रपत्र

(आवेदक द्वारा भरा जावे)

आयुक्त / उपायुक्त,

नगर निगम बीकानेर।

मैं/हम नगर निगम की सीमा के (नगर विकास न्यास के योजना क्षेत्र के अलावा) भीतर नया भवन निर्मित करने या भवन को पुनः निर्मित करने या भवन में तात्त्विक परिवर्द्धन करने (तात्त्विक परिवर्द्धन से तात्पर्य विधमान सेट बेक, कवरेज, ऊंचाई, पार्किंग क्षेत्र में कोई भी परिवर्तन अभिप्रेत है) या भवन के किसी बहिर्गत भाग को निर्मित या पुनः निर्मित करने (To erect or re-erect any projection portion of building) या किसी प्रकार का कुंआ या बोरिंग बनाने या उसका विस्तार करने का आशय रखना और किसी भूमि या भवन पर कोई टावर या इस प्रकार की संरचना को निर्मित या पुनः निर्मित करने के लिए आवेदन कर रहा हूँ/ कर रहे है :—

1. प्रार्थी का नाम :
2. प्रार्थी के पिता/पति का नाम :
3. प्रार्थी का डाक पता :
मो. नं..... ई-मेल.....
4. प्रस्तावित भवन निर्माण की स्थिति (location) मय योजना यदि कोई हो, का नाम.....

5. क्या प्रस्तावित भवन निर्माण स्थल/ भवन के संबंध में अवश्यक स्व प्रमाणित दस्तावेज (chain of title deed)
संलग्न है।
6. क्या प्रस्तावित भवन निर्माण हेतु मानचित्र की 5 प्रतियां संलग्न हैं।
7. यदि भवन पूर्व में निर्मित है तो क्या उसमें प्रस्तावित परिवर्तन/ प्रस्तावित परिवर्द्धन दिग्दर्शित है।
8. क्या मानचित्र तैयार करने वाले नगर निगम में रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट के रजिस्ट्रेशन नंबर व उसके कार्यालय का पूरा पता मय दूरभाष नंबर लगी मोहर मानचित्र पर अंकित है
9. क्या नगर निगम द्वारा पंजीकृत वकील द्वारा प्रमाणित स्वामित्व की रिपोर्ट की मूल प्रति संलग्न है।
10. 15 मीटर से ऊचाई से अधिक के भवनो के लिए पुलिस अधिकारी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र की मूल प्रति संलग्न है।
11. प्रस्तावित भूखण्ड पर किसी प्रकार का मंदिर/मस्जिद/अन्य धार्मिक स्थल बनाना प्रस्तावित है।
12. प्रस्तावित भूखण्ड के उपर से एच.टी. लाईन गुजर रही है।

13. यदि प्रस्तावित निर्माण का मास्टर प्लान में स्वीकृत भू-उपयोग के विपरीत भवन निर्माण करना प्रस्तावित है तो सक्षम अधिकारी द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में जारी प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित प्रति संलग्न है। []
14. यदि आवंटन शर्तों/पट्टा शर्तों में से किसी शर्त के विपरीत मानचित्र प्रस्तुत किये गये हो तो सक्षम अधिकारी के अनापत्ति प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित प्रति संलग्न है। []
15. हेज्जार्डस् भवन (बीकानेर नगर निगम विनियम 2013 में परिभाषित अनुसार) के मामलों में कन्ट्रोलर आफ एक्सप्लेसिव एवं चीफ फायर आफिसर के सुरक्षा संबंधी प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है। []
16. यदि प्रस्तावित भवन में तहखाना पडोसी के भूखण्ड की सीमा के दो मीटर की दूरी से कम पर बनाया जाना प्रस्तावित है (केवल अयोजना क्षेत्र के लिए) तो नगर निगम के हक में निर्धारित नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प ऐपर पर इन्डेमिनिटी बॉन्ड भर कर संलग्न किया गया है। []
17. यदि आवश्यक है तो भूखण्ड के सामने सड़क को छौड़ा करने के उद्देश्य से सड़क के साथ भूखण्ड में से भू-पट्टी समर्पित की जाने में सरेडर डीड तथा कब्जा संभलाए जाने का प्रमाण पत्र संलग्न है। []
18. यदि भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन किया गया हो तो भूखण्ड का स्वीकृत उपविभाजन/पुनर्गठन के नक्शे एवं स्वीकृति पत्र की प्रमाणित छाया प्रति स्व प्रमाणित संलग्न है। []
19. क्या प्रस्तावित निर्माण पूर्ण रूपेण नया है अथवा परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन है। []
20. क्या निर्मित भवन तथा प्रस्तावित भवन परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन को निर्धारित रंगों से प्रदर्शित किया गया है। []
21. क्या निर्धारित सेट बैक,एफ.ए.आर, उचाई, पार्किंग आदि आवश्यक है तो मानचित्र में दिग्दर्शित है। []
22. क्या मानचित्र में प्रस्तावित निर्माण भवन विनियम 2013 में वर्णित निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति करता है। []
23. क्या भूमि/भवन के हक के समर्थन में सभी दस्तावेजों के साथ साथ दस्तावेजों की असलियत ओर भूमि या भवन पर अविवादित हक के बारे में शपथ पत्र (प्रपत्र 1) संलग्न है। []
24. तकनीकी विद (आर्किटेक्ट) का शपथ पत्र (प्रपत्र 2) संलग्न है। []
25. यदि आवेदन पावर आफ अटोर्नी के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है तो पावर आफ अटोर्नी की स्व प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है। []
26. गृहकर वर्ष 2007 तक जमा की रसीद, चालू वित्तीय वर्ष के नगरीय विकास कर की रसीद संलग्न है। []
27. प्रस्तावित निर्माण रेलवे सीमा से कितने मीटर दूरी पर है मानचित्र में दिग्दर्शित है। []
28. प्रार्थी के पहचान पत्र जिसमें प्रार्थी का फोटो हो की स्व प्रमाणित प्रति संलग्न है। []
29. भूखण्ड का क्षेत्रफल [] वर्गमीटर है।
30. भवन का परियोजन आवासीय/व्यावसायिक/ स्थानीय/ अन्य है। कोष्ठक में लिखें []
31. आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर आवेदन की दिनांक को आवेदक के पास भूमि या भवन का वैध कब्जा है। []

32. प्रस्तुत मानचित्र स्वामित्व के आधार पर बनाया गया है या भूमि या भवन पर वैध कब्जा होने की सीमा तक का बनाया गया है। कोष्ठक में लिखें
33. प्रस्तावित भवन/भूमि के मानचित्र में सरकारी भूमि शामिल तो नहीं है।
34. भवन निर्माण संबंधित दरें ।

1. प्रार्थना पत्र का शुल्क

आवासीय/संस्थागत/औद्योगिक

रुपये 100/- प्रति पत्रावली

वाणिज्यिक

रुपये 300/- प्रति पत्रावली

2. जांच फीस (प्रार्थना पत्र के साथ देय) भुखण्ड क्षेत्रफल पर

(अ) आवासीय/संस्थागत/औद्योगिक

रुपये 10/- प्रति वर्गमीटर

(अधिकतम राशि 1,00,000 रुपये)

(ब) वाणिज्यिक

रुपये 30/- प्रति वर्गमीटर

(अधिकतम राशि 3,00,000 रुपये)

3. मानचित्र अनुमोदन शुल्क

(अनुमोदित मानचित्र जारी करने से पूर्व देय)

(क) भूलल + दो मंजिल तक के निर्माण हेतु भुखण्ड क्षेत्रफल के आधार पर निम्न वार्षित शुल्क देय होगा।

उपरोक्त शुल्क बेसमेट + ग्राउण्ड + 2 मंजिलों तक निर्माण पर लागू होगा।

(अ) स्वतंत्र आवासीय/संस्थागत/औद्योगिक

(1) 1 से 100 वर्गमीटर तक के भुखण्ड रुपये 1000/-

(2) इसके अतिरिक्त प्रत्येक 50 वर्गमीटर के भाग पर रुपये 500/-

(ब) वाणिज्यिक :-

(1) 1 से 100 वर्गमीटर तक के भुखण्ड रुपये 2000/-

(2) इसके अतिरिक्त प्रत्येक 50 वर्गमीटर के भाग पर रुपये 1000/-

(ख) बेसमेट + ग्राउण्ड + 2 मंजिलें से ऊँचे भवानों तथा बहु आवासीय/फ्लैट्स/ग्रुप हाउसिंग के लिए

भुखण्ड पर प्रस्तावित सकल निर्मित क्षेत्र का आधार पर निम्न शुल्क देय होगा।

(i) आवासीय/संस्थागत/औद्योगिक 50/- प्रति वर्गमीटर

(ii) व्यावसायिक 75/- प्रति वर्गमीटर

(ग) मोटल रिसोर्ट, एम्युसमेट पार्क गोल्फ कोर्स तथा फार्म हाउस के लिए अनुमोदन शुल्क 50 रुपये प्रति

वर्गमीटर की दर से सकल निर्मित क्षेत्रफल पर लिया जाएगा।

4. शहरी गरीबों को आधारभूत सुविधाएं (BSUP) उपलब्ध करवाने हेतु बहुमजिले भवनों के लिए निम्न शुल्क देय होगा जिसे अलग से शेल्टर फण्ड के अकाउन्ट में रखा जावेगा तथा इस राशि का उपयोग केवल शहरी गरीबों की बस्तियों अथवा अफॉडेवल हाउसिंग पॉलिसी के तहत ई. डब्ल्यू. एस. तथा एल. आई. जी. के लिए आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए किया जावेगा:-

शुल्क हेतु सकल निर्मित क्षेत्र पर गणना कर जाएगी।

1. व्यावसायिक 25/- रु. प्रति वर्गमीटर

2. आवासीय/संस्थागत/औद्योगिक 10/- रु. प्रति वर्गमीटर

3. फार्म हाउस के लिए आवासीय हेतु निर्धारित शुल्क के बराबर शुल्क देय होगा।

5. मलबे के लिये भुखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर निम्न राशि देय होगी ।

1. 500 वर्गमीटर तक रु. 1000/-

2. 500-1000 वर्गमीटर रु. 5000/-

3. 1000 वर्गमीटर से अधिक रु. 10000/-

मलबे के लिए जो राशि प्रस्तावित की गई है, पार्टी द्वारा उठाने पर प्रतिदेय (Refundable) होगी।

35. दस्तावेजों एवं मानचित्रों सहित पृष्ठों की संख्या **1 से** **तक**

नोट :- रिक्त कोष्ठक में हाँ या नहीं या लागू नहीं या अपेक्षित सूचना अकिंत किया जावें कोई भी कोष्ठक

रिक्त नहीं होना चाहिए और अधिलेखन(Over writing) होने पर आवेदन निरस्त माना

जाएगा।

दूरभाष नं.

हस्ताक्षर

ईमेल आईडी.

आवेदन का नाम

डाक का पता

केवल योजना क्षेत्र के भूखण्डों/भवनों के लिए।

रसीद

नगर निगम बीकानेर

क्रमांक/भवन निर्माण अनुमति अनुभाग/2017/

दिनांक.....

आवसीय भवन मानचित्र प्राप्ति रसीद

500.00 वर्गमीटर आकार तक तथा 10.00 मीटर उचाई (तहखाना सेटबैक छोड़कर तथा प्रथम तल तक)

(चारदीवारी के बाहर नगर निगम सीमा के अन्तर्गत)

आवेदन क्रमांक :

आवेदक का नाम एवं पता श्री.....

पार्ट (अ):-

(आर्किटेक्ट द्वारा दो प्रतियों में भरा जाएगा)

भूखण्ड संख्या :-

योजना का नाम

जोन वार्ड पिन कोड.....

तकनीकी मापदण्ड

क्र.सं	विवरण	मानचित्र के अनुसार	भवन विनियमानुसार
1.	साइज एवं क्षेत्रफल		
2.	सड़क की चौड़ाई		
3.	प्रस्तावित निर्माण		
	अ) तहखाना		
	ब) भूतल		
	स) प्रथम तल		
4.	सेटबैक		
	अ) अग्र		
	ब) पाश्व- 1		
	स) पाश्व- 2		
	द) पीछे		
5.	उचाई		
6.	अधिकतम आच्छादित क्षेत्र	सेटबैक क्षेत्र के अद्वारा	सेटबैक क्षेत्र के अद्वारा

नोट- जो लागू नहीं है उस कोठक में (X) का चिन्ह अंकित कर देवें।

हस्ताक्षरमय मोहर

(आर्किटेक्ट)

कृ.प.उ

पार्ट (ब) :-

आप द्वारा भवन निर्माण करने बाबत् दिये गये प्रार्थना पत्र के क्रम में निम्नांकित शर्तों के साथ भवन निर्माण करने हेतु आवेदन पत्र मय मानचित्र प्राप्ति की रसीद दी जाती है :—

नगर निगम बीकानेर द्वारा निर्माण स्वीकृति को स्वामित्व का आधार नहीं माना जायेगा और न ही इसमें किसी के स्वामित्व संबंधी अधिकारी ही प्रभावित होंगे एवं विवादित स्वामित्व की भूमि पर दिये गये निर्माण स्वीकृति के लिए नगर निगम बीकानेर जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि निर्माण स्वीकृति केवल मात्र प्रश्नगत भूमि पर क्या निर्माण किया जा सकता है, अथवा अनुज्ञेय है, यही दर्शाता है।

- i. भवन का निर्माण योजना का भाग होने योजना के अनुसार अथवा बीकानेर नगर निगम भवन विनियम, 2013 के मापदण्डों के अनुसार किया जाएगा।
- ii. 300 वर्ग मीटर तथा इससे अधिक आकार के भूखण्डों में वर्षा जल द्वारा भू गर्भ का जल स्तर बढ़ाने की व्यवस्था विनियम 8.17 के अनुसार आवश्यक रूप से करनी होगी।
- iii. तहखाना निर्माण की स्थिति में नगर निगम के हित में क्षतिपूर्ति बंधक पत्र निष्पादित करना अनिवार्य है।
- iv. भवन के आन्तरिक निर्माण मानदण्ड विनियम 9.1 से 9.6 के अनुसार रखे जाने अनिवार्य होंगे।
- v. तहखाना का निर्माण भवन विनियम 9.7 में वर्णित तकनीकी मानदण्डों के अनुसार किया जाना अनिवार्य है।
- vi. मलबा सड़क पर नहीं डालें।

उपायुक्त

नगर निगम बीकानेर

केवल योजना क्षेत्र के भूखण्डों/भवनों के लिए।

रसीद

नगर निगम बीकानेर

क्रमांक / भवन निर्माण अनुमति अनुभाग / 2017 /

दिनांक

आवसीय भवन मानचित्र प्राप्ति रसीद

500.00 वर्गमीटर आकार तक तथा 10.00 मीटर उचाई (तहखाना सेटबैक छोड़कर तथा प्रथम तल तक)

(चारदीवारी के बाहर नगर निगम सीमा के अन्तर्गत)

आवेदन क्रमांक :

आवेदक का नाम एवं पता श्री.....

पार्ट (अ):-

(आर्किटेक्ट द्वारा दो प्रतियों में भरा जाएगा)

भूखण्ड संख्या :-

योजना का नाम

जोन वार्ड पिन कोड

तकनीकी मापदण्ड

क्र.सं	विवरण	मानचित्र के अनुसार	भवन विनियमानुसार
1.	साईंज एवं क्षेत्रफल		
2.	सड़क की चौड़ाई		
3.	प्रस्तावित निर्माण		
	अ) तहखाना		
	ब) भूतल		
	स) प्रथम तल		
4.	सैटबैक		
	अ) अग्र		
	ब) पार्श्व- 1		
	स) पार्श्व- 2		
	द) पीछे		
5.	उचाई		
6.	अधिकतम आच्छादित क्षेत्र	सैटबैक क्षेत्र के अदरं	सैटबैक क्षेत्र के अदरं

नोट- जो लागू नहीं है उस कोठक में (X) का चिन्ह अंकित कर देवें।

हस्ताक्षरमय भोहर

(आर्किटेक्ट)

कृ.प.उ

पार्ट (ब) :-

आप द्वारा भवन निर्माण करने बाबत् दिये गये प्रार्थना पत्र के क्रम में निम्नांकित शर्तों के साथ भवन निर्माण करने हेतु आवेदन पत्र मय मानचित्र प्राप्ति की रसीद दी जाती है :-

नगर निगम बीकानेर द्वारा निर्माण स्वीकृति को स्वामित्व का आधार नहीं माना जायेगा और न ही इसमें किसी के स्वामित्व संबंधी अधिकारी ही प्रभावित होंगे एवं विवादित स्वामित्व की भूमि पर दिये गये निर्माण स्वीकृति के लिए नगर निगम बीकानेर जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि निर्माण स्वीकृति केवल मात्र प्रश्नगत भूमि पर क्या निर्माण किया जा सकता है, अथवा अनुज्ञेय है, यही दर्शाता है।

- i. भवन का निर्माण योजना का भाग होने योजना के अनुसार अथवा बीकानेर नगर निगम भवन विनियम, 2013 के मापदण्डों के अनुसार किया जाएगा।
- ii. 300 वर्ग मीटर तथा इससे अधिक आकार के भूखण्डों में वर्षा जल द्वारा भू गर्भ का जल स्तर बढ़ाने की व्यवस्था विनियम 8.17 के अनुसार आवश्यक रूप से करनी होगी।
- iii. तहखाना निर्माण की स्थिति में नगर निगम के हित में क्षतिपूर्ति बंधक पत्र निष्पादित करना अनिवार्य है।
- iv. भवन के आन्तरिक निर्माण मानदण्ड विनियम 9.1 से 9.6 के अनुसार रखे जाने अनिवार्य होंगे।
- v. तहखाना का निर्माण भवन विनियम 9.7 में वर्णित तकनीकी मानदण्डों के अनुसार किया जाना अनिवार्य है।
- vi. मलबा सड़क पर नहीं डालें।

उपायुक्त

नगर निगम बीकानेर

नगर निगम बीकानेर

अप्डरटेकिंग

(निर्धारित नोन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

स्वयं
प्रमाणित
फोटो

मैं.....

पुत्र/पुत्री/पति श्री.....

निवासी.....

जिला.....

राज्य.....

धोषणा करता हूँ / करती हूँ कि :-

1. यह कि प्रस्तावित निर्माण स्थल (भूमि या भवन सहित भूमि) नगर निगम बीकानेर की सीमा में स्थित है।
2. यह कि प्रस्तावित भवन में वाहनों की पार्किंग के लिए बेसमेन्ट में व.मी. तथा स्टिल्ट फ्लोर पर व.मी. अथार्थ कुल व.मी. फ्लोर ऐरिया आरक्षित किया गया है।
3. यह कि मेरे द्वारा भवन में निवासकर्ताओं को पार्किंग क्षेत्र केवल पार्किंग उपयोग हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।
4. यह कि बेसमेन्ट या स्टिल्ट के पार्किंग क्षेत्र को मेरे या निवासीकर्ताओं के द्वारा यदि अन्य उपयोग में परिवर्तन किया जाता है तो नगर निगम बीकानेर को अनाधिकृत निर्माण/उपयोग को हटाने का पूर्ण अधिकार होगा।
1. यह कि प्रस्तावित भवन में सौर ऊर्जा उपकरण एवं वर्षा जल संग्रहण का प्रावधान भवन विनियम 2013 के अनुसार करुगा/करुगी।
2. यह कि प्रस्तावित भवन में विधुत सेवाए बिल्डिंग कोड के प्रावधानों के अनुसार करुगा/करुगी।
3. यह कि प्रस्तावित भवन में निर्माण भुकम्प रोधी प्रावधान (आई.एस.) I.S के प्रावधान के अनुसार करुगा/करुगी।
4. आवेदन पत्र में वर्णित समस्त सुचनाए तथा आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त दस्तावेज मेरी निजी जानकारी और विश्वास में दुरस्त है इसमें कुछ भी छिपाया या बढ़ाया नहीं गया है। मुझे इस बात का ज्ञान है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी भविष्य में झुठी/असत्य पाये जाने पर मैं स्वयं जिम्मेवार रहूगा/रहूगी एवं मुझे इसके लिए विधि अनुसार दण्ड का सामना करना पड़ेगा तथा जो भी लाभ मेरे द्वारा प्राप्त किये हैं उन्हे पूर्ण रूप से वापिस ले लिया जावेगा।

दिनांक

स्थान

स्वयं धोषणाकर्ता
आवेदक के हस्ताक्षर

—: शपथ पत्र :—

(निर्धारित नोन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

मैं पुत्र/पत्नी श्री.....

जाति निवासी.....

बीकानेर का हूँ जो कि शपथ पूर्वक घोषित करता/करती हूँ कि :-

1. यह कि मौहल्ला..... बीकानेर

में मेरे स्वामित्व की भूमि/भवन सहित भूमि स्थित है, जिसका क्षेत्रफल..... वर्गमीटर है

2. यह कि उक्त भूमि पर मैं नया भवन बनाना चाहता/चाहती हूँ अथवा मकान में परिवर्तन/परिवर्द्धन करवाना चाहता/चाहती हूँ।

3. यह कि भूमि/भवन सहित भूमि पर मेरा स्वामित्व है, जो कि विवाद रहित है।

4. यह कि भूमि/भवन सहित भूमि के संबंध में स्वामित्व के दस्तावेज (chain of title deed) की शृंखला की प्रतियां प्रस्तुत कर दी गई हैं।

5. यह कि स्वामित्व के दस्तावेज का विवरण क्रमवार निम्न प्रकार से है :-

(अ)

(ब)

(स)

(द)

(य)

6. यह कि प्रस्तावित निर्माण स्थल के संबंध में किसी भी सक्षम अधिकारी/न्यायालय/रेवन्यु बोर्ड/अन्य अधिकृत अधिकारी के वहां स्वामित्व अथवा अन्य किसी भी कारण से वाद लम्बित नहीं है।

7. यह कि गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई, निर्माण स्वीकृति प्रारम्भितः ही शुन्य (Void-ab-initio) मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन कर्ता के विरुद्ध निगम कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

यह कि मद संख्या 01 से 07 तक दिये गये तथ्य मेरी निजी ज्ञान एवं विश्वास से सही दिये गये हैं। कुछ भी छिपाया या बढ़ाया नहीं है। ईश्वर मेरी मदद करे।

केवल अयोजना क्षेत्र (Non Scheme Area) के भूखण्डों/भवनों के लिए।

रसीद

नगर निगम बीकानेर

क्रमांक/भवन निर्माण अनुमति अनुभाग/2017/

दिनांक.....

भवन मानचित्र प्राप्ति रसीद

आवेदन क्रमांक :

आवेदक का नाम एवं पता : श्री/ श्रीमती

प्रस्तुत प्रकरण में 250 वर्गमीटर से कम के क्षेत्र पर, प्रथम तल तक एकल आवासीय इकाई के संनिर्माण करना प्रस्तावित है और भवन की ऊँचाई सड़क की सतह से 10 मीटर से अधिक नहीं है।

इसलिए नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 194 (7) (घ) के अनुसार 250 वर्गमीटर के कम के भूखण्डों में भवन निर्माण की लिखित अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आवेदन पत्र के साथ आर्किटेक्ट से अनुप्रमाणित नक्शे तथा फीस देना प्रर्याप्त है। लिखित अनुज्ञा अपेक्षित नहीं है।

उपायुक्त
नगर निगम बीकानेर

Municipal Corporation, Bikaner

CERTIFICATE OF UNDERTAKING

FOR COMPLIANCE 3 OF THE PROVISION OF N.B.C. PART- VI

FOR EARTHQUAKE SAFETY

(To be submitted at the time of approval of building plans for multi story)

Location -

Plot No -

Scheme/ Non scheme Area-

Area of the Plot-

Proposed Height of the building -

1. Certified the building Plans submitted for approval satisfy the safety requirement as stipulated under building regulation no. 14.7 and the information given there in is factually correct to the best of our knowledge and understanding.
2. It is also certified that the structural design including safety from earthquake shall be duly incorporated in the design of the building and these provision shall be adhered to during the construction.

Signature of Owner-

Name & address-

Signature of Structural Engineer-

Name & address-

Registration No with seal-

Signature of Architect-

Name & Address-

Registration No with seal-

नगर निगम बीकानेरतकनीकी बिद् का शपथ पत्र

मैं.....

पुत्र श्रीउम्र.....जाति.....

निवासी

पूरे होश हवास में शपथपूर्वक निम्न नथ्यों का वर्णन करता हूँ :—

1. मैं तकनीकीविज्ञ नगर निगम बीकानेर में पंजीकृत हूँ तथा पंजीकृत नम्बर है।
2. मुझे भूखण्ड संख्याजो योजना..... के अन्तर्गत है, अथवा गैर अयोजना के मौहल्ला..... में स्थित है उसके भवन मानचित्र तैयार करने का कार्य तकनीकीविज्ञ होने के फलस्वरूप दिया गया है।
3. उपरोक्त भूखण्ड के लिए मैंने भवन विनियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप (चार दीवरी के अलावा) भवन मानचित्र तैयार किया गया है।
4. योजना का भूखण्ड होने के कारण मेरे द्वारा योजना के ले—आउट का अध्ययन कर लिया गया है तथा भूखण्ड व कॉलोनी से संबंधित सभी दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त कर ली है
5. यह कि आवेदित भूखण्ड पर आवेदक का वैध रूप से भौतिक कब्जा है।
6. यह कि आवेदक द्वारा आवेदित भूखण्ड में सरकारी या अतिक्रमित भूमि शामिल नहीं हैं।
7. यह कि प्रस्तावित प्रकरण में भूमि या भूखण्ड का उपविभाजन या एकीकरण सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है अथवा नहीं किया गया है अथवा लागू नहीं हैं
8. यह कि प्रस्तावित प्रकरण में भूउपयोग परिवर्तन या संपरिवर्तन राशि जमा कराने का प्रश्न शामिल (Involved) नहीं है।

भवन मानचित्र का विस्तृत विवरण निम्न है :—

1. भूखण्ड का क्षैत्रफलवर्गमीटर है।
2. तकनीकी मापदंड :—

सेटबैक	मानचित्र के अनुसार	भवन विनियम 2013 के अनुसार
अ) सामने
ब) पाश्व – प्रथम
स) पाश्व द्वितीय
द) पीछे
अच्छादित क्षेत्र
भवन की ऊचाई
4.अ)फ्लोर ऐरिया का विवरण
ब) बेसमेन्ट
स) प्रथम मंजिल
द)द्वितीय मंजिल
ग) त तीय मंजिल
र) चतुर्थ मंजिल
ल) पंचम मंजिल
व) सर्विस फ्लोर
ह) टैरेस फ्लोर
साकल निर्मित क्षेत्रफल
(कुल योग)
ब) एफ.ए.आर. की गणना
स्कल निर्मित क्षेत्र छूट
योग क्षेत्र
भूखण्ड का क्षेत्रफल
पार्किंग
अ) खुले में
ब) भू-मंजिल पर
स) आच्छादित पार्किंग
द) बेसमेन्ट पार्किंग
कुल पार्किंग

9. भवन मानचित्र नगर निगम बीकानेर भवन विनियम 2013 द्वारा स्वीकृत भवन मानदण्ड के अनुरूप तैयार किये हैं।
10. भवन मानचित्र बनाते समय कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है।

यह कि मंद सं. 1 से तक मे दी गई सूचना तथ्य सही दिये गये हैं/कुछ भी धटाया/बढ़ाया नहीं गया है/ईश्वर मेरी मदद करे।